



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11071370682



ग्राम: बीड रैयत			पटवारी हल्का: बीड रैयत			तहसील: नेपानगर			जिला: बुरहानपुर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/हल्लाक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (हल्लाक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विज्ञापन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123902 1808 7DDGD 3D9C5 G9H0	252 (S)		0.7200 हेक्टेयर काबिल कास्त	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0024/अ-59/2021-22, आदेश दि. 18/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। म.प्र.शासन, कार्या. भू. अभि. बंदोबस्त भू. अभि. म. प्र. का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 2632/8/बंदो./2000 ग्वालियर दिनांक 21-08-2000 के अनु. वर्गीकरण हेतु सुरक्षित, श्री. कले. आदे. क्र./क/691/नजुल/2002 आ. दि. 7-02-03 के अनु. नजुल घोषित



प्रविधिक - प्रहलाद सोनवण
जोड सेवा केन्द्र, बुरहानपुर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11071370247



ग्राम: बीड रैयत			पटवारी इत्का: बीड रैयत			तहसील: नेपानगर			जिला: बुरहानपुर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुप्त तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123836 4922 7DDGM RD9C4 TFH0	251 (S)		1.6600 हेक्टेयर काबिल कास्त	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0024/अ-59/2021-22, आदेश दि. 18/02/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित म.प्र.शासन,कार्या.भू.अभि.बंदोबस्त भू.अभि.म.प्र.का अर्द्धशासकीय पत्र क्र.2632/8/बंदो./2000 ग्वालियर दिनांक 21-08-2000के अनु.वर्गीकरण हेतु सुरक्षित,श्री.कले.आदे.क्र./क/691/नजुल/2002 आ.दि.7-02-03 के अनु.नजुल घोषित



प्रबंधक - ग्रहलाद सोनवत
जोक्त सेवा केन्द्र, बुरहानपुर

न्यायालय कलेक्टर जिला, बुरहानपुर

क्रमांक /रीडर कले0/2022/

राजस्व प्रकरण क्रमांक 24 अ/59, 2021-22
बुरहानपुर, दिनांक 28/12/22

आदेश

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर द्वारा पत्र क्रमांक / 264/तक./2021-22 / दिनांक 10-02-2022 प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि जिला बुरहानपुर अन्तर्गत ग्राम सुक्ता नवाड सिरपांजरिया मार्ग निर्माण हेतु राजस्व प्रकरण क्र0 11 अ/59 2021-22 दिनांक 30-09-2021 द्वारा 2.385 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई है। वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पत्र क्रमांक / मा0चि0/20222/ 390 दिनांक 27-01-22 द्वारा उक्त भूमि उपयुक्त नहीं होने से अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। ग्राम बीड़ रै0 की भूमि खसरा नं0 251, 252 कुल रकबा 2.38 हैक्टर वन विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु उचित पाया गया है। पूर्व में प्रदाय की गई भूमि को निरस्त करते हुए ग्राम बीड़ रै0 की भूमि खसरा नं0 251, 252 कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर से जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बीड़ रै0 के खाते का रकबा 396.21 हैक्टर एवं चरनोई का रकबा 23.68 हैक्टर है। दो प्रतिशत चरनोई का रकबा 7.92 हैक्टर छोड़कर शेष रकबे का आबंटन किया जा सकता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 कण्डिका-26 के अनुसार सानुदायिक सुविधाओं के विस्तार हेतु आबंटन किये जाने वाली शासकीय भूमि प्रिमियम और भू-भाटक से मुक्त रहेगी। अतः वन विभाग को ग्राम बीड़ रै0 की भूमि खसरा नं0 251, 252 रकबा क्रमशः 1.66, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर नोईयत परिवर्तन कर आबंटित किया जाना उचित है।

3. मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन का विस्तृत रूप से अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालयों के जांच प्रतिवेदनों से सहमत होते हुए उपरोक्तानुसार अनुशंसा की गई है, ग्राम बीड़ रै0 की भूमि खसरा नं0 251, 252 रकबा क्रमशः 1.66, 0.72 हैक्टर कुल रकबा 2.38 हैक्टर भूमि म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 237(3) के तहत चरनोई मद से व्यपवर्तित कर वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1 कण्डिका-26 के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित की जाती है।

कलेक्टर

जिला-बुरहानपुर

पृ0क्रमांक /वाचक कले0/2021/
प्रतिलिपि :-

1474

बुरहानपुर, दिनांक 28/12/22

- 1- प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 3- सचिव, म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल।
- 4- आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
- 5- वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) वन मंडल, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- 7- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ
- 8- तहसीलदार नेपानगर की ओर सूचनार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्त कर पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर

जिला-बुरहानपुर